

**प्रेस-विज्ञप्ति**  
**थाना गम्भीरपुर**

**गिराह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 04 शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक अभियुक्त घायल**

**पूर्व की घटनाएं:-**

- ➔दिनांक 17.09.2022 को वादी आशुतोष सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी अमिलिया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया कि आजमगढ़ से आफिस का कार्य कर लोटते समय इशान पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा असलहे के बल पर एक टैबलेट, एक मोबाइल व 1 हजार छीनकर भाग गए। इस सूचना पर थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं. 334/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत विवेचना प्रचलित हैं।
- ➔दिनांक 18.09.2022 को वादी चंद्रजीत यादव पुत्र श्री रामाधारी यादव निवासी घनघटा थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा थानास्थानीय पर सूचना दी गई कि दो बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों द्वारा ओवरटेक करके 9700 रुपये, 01 मोबाइल व आधार कार्ड, पैन कार्ड छीन लिया. जिसके संबंध में थाना अतरौलिया पर मु.अ.सं. 327/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
- ➔दिनांक 18.09.2022 को वादी अजय कुमार उपाध्याय पुत्र स्व. राम नवल उपाध्याय निवासी नवली थाना कप्तानगंज द्वारा थाना कप्तानगंज पर सूचना दी गई कि अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहा दिखाकर वादी से ₹8000 व उसका मोबाइल छीन लिया गया जिसके संबंध में थाना कप्तानगंज पर मु.अ.सं. 274/22 धारा 392/504 भा.द.वि. पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
- ➔दिनांक 20.09.2022 को वादी राकेश कुमार पुत्र संत लाल निवासी मुड़या मकदुमपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तमंचे के बल पर 2200 रुपये, पैन कार्ड, आधार कार्ड व एनपीएस कार्ड छीनकर भाग गये, इस सूचना पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 207/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
- ➔दिनांक 21.09.2022 को वादी जुल्फिकार अहमद पुत्र महाबुद्ध बक्स निवासी लालगंज आजमगढ़ अपने लैब का सामान लेकर आजमगढ़ से लालगंज जाते समय रोहुआ सिमेंट प्लांट के पास से दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा अवैध असलहे से आतंकित कर बैग से 20 हजार रुपये, मोबाइल, ATM छीनकर भाग गए। इस सूचना पर थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं. 337/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

**घटनाओं का अनावरण**

- ➔दिनांक 22.09.2022 को सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश SR पेट्रोल पंप के पास बगीचे में इकट्ठा होकर लूट की योजना बना रहे हैं।
- ➔इस सूचना पर थानाध्यक्ष गम्भीरपुर मय पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर तीन अभियुक्तों 1-शुभम सोनकर उर्फ छोटू पुत्र दारा सोनकर, निवासी-राजाबली, रानी की सराय, 2-प्रिंस यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी-सपनहर रूद्रपुर, मेंहनगर 3-धीरज सोनकर पुत्र राधेश्याम सोनकर निवासी कस्बा रानी की सराय आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल व लूट के सामान बरामद हुए।
- ➔जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 338/22 धारा 392/411/398/401 भादवि व मु.अ.सं. 339 /22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत किया गया।
- ➔पुनः सूत्रों से जात हुआ कि उपरोक्त लूट की घटनाओं में सम्मिलित एक अभियुक्त आजमगढ़ से गोसाई की बाजार की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष गम्भीरपुर मय हमराह द्वारा रोहुआ GPL प्लांट के पास मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। जिसमें अभियुक्त घायल होकर गिर गया। घायल अभियुक्त को चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।
- ➔अभियुक्त की पहचान शिवम सोनी पुत्र अमरनाथ सोनी निवासी थाना रानी की सराय आजमगढ़ के रूप में हुयी। अभियुक्त के कब्जे से कट्टा व कारतूस, मोटरसाइकिल तथा लूट का सामान बरामद किया गया। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग गिराह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे।

**पंजीकृत अभियोग**

- मु.अ.सं. 340/22 धारा 307 भादवि व 2/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर।
- मु.अ.सं. 338/22 धारा 392/411/398/401 भादवि थाना गम्भीरपुर।
- मु.अ.सं. 339 /22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त**

- 1-शुभम सोनकर उर्फ छोटू पुत्र दारा सोनकर, निवासी-राजाबली, रानी की सराय,
- 2-प्रिंस यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी-सपनहर रूद्रपुर, मेंहनगर
- 3-धीरज सोनकर पुत्र राधेश्याम सोनकर निवासी कस्बा रानी की सराय आजमगढ़
- 4-शिवम सोनी पुत्र अमरनाथ सोनी, निवासी रानी की सराय आजमगढ़। (मुठभेड़ में घायल)

**आपराधिक इतिहास**

- मु.अ.सं. 334/22 धारा 392 भादवि थाना गम्भीरपुर।
- मु.अ.सं. 337/22 धारा 392 भादवि थाना गम्भीरपुर ।
- मु.अ.सं. 338/22 धारा 392/411/398/401 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
- मु.अ.सं. 339 /22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
- मु.अ.सं. 327/22 धारा 392 भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ़ ।
- मु.अ.सं. 274/22 धारा 392/504 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ।
- मु.अ.सं. 207/22 धारा 392 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

**बरामदगी**

- 02 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 टैबलेट
- 02 मोबाइल, 02 मोटरसाइकिल।
- लूट का पेनकार्ड, आधार कार्ड।
- 5100/- रुपये नकद।

**पुलिस टीम**

थानाध्यक्ष गम्भीरपुर राम प्रसाद बिंद मय हमराह।